फर्द अहकाम

कैलाश व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य

/2025

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की असल डाक रसिदे व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थीगण बावजूद तामील सूचना उपस्थित नही। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामनगरिया, पटवार हल्का जयपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 146 रकबा 0.0500 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0500 है0 तथा खात संख्या 32 के खसरा नम्बर 140 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1300 है0 का सीमाज्ञान श्रीमान जिला कलक्टर (भू0अ0) जयपुर के पत्रांक 2991 दिनांक 17.02.2023 की अनुशंषा एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक राजकाज रेफ नम्बर 13942491 दिनांक 04.03.2025 की पालना में दिनांक 05.03.2025 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त खसरा नम्बर का डी0जी0पी0एस0 मशीन द्वारा खसरो का मौका एवं कार्य किया गया। तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक राजकाज रेफ नम्बर 14935954 दिनांक 25.04.2025 की पालना में दिनांक 30.04.2025 को डी0जी0पी0एस मशीन द्वारा तहसील सांगानेर की उपस्थिति एवं पडौसी खातेदारों के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान चिंन्हीकरण का कार्य किया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तूत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रामनगरिया, पटवार हल्का जयपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 146 रकबा 0.0500 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0500 है0 तथा खात संख्या 32 के खसरा नम्बर 140 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1300 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	